मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

दांडिक अपील क्रमांक–1016/93

अपीलार्थी/अभियुक्त (कारागार में) : पंच राम पिता बीरजू कंवर,
उम्र:– 40 वर्ष ,व्यवसाय–कृषक,
निवासी:– ग्राम बिंजकोट,
थाना : खरसिया, जिला रायगढ़, मध्य प्रदेश।

–विरुद्ध–

उत्तरवादी : मध्य प्रदेश राज्य।

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक – 1061/1993

पंच राम

–विरुद्ध–

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

कोरम : **माननीय श्री फखरुद्दीन,**

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्तिगण

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक –1016/1993

पंच राम

–विरुद्ध–

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

कोरम : **माननीय श्री फखरुद्दीन,**

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्तिगण

श्री सचिन सिंह राजपूत, अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ।

श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता सह, श्री एम.पी.एस. भाटिया, पी.एल, राज्य की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 29.09.2005 को घोषित किया गया)

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक निर्णय न्यायमूर्ति **श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख** द्वारा घोषित किया गया।

1. यह अपील श्री शरद श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 90/92 में पारित निर्णय दिनांक 22 सितंबर 1993, जिसके तहत अपीलार्थी को दिनांक 14.04.1992 को समय प्रातः 7:00 बजे ग्राम बिंजकोट, थाना खरसिया, जिला रायगढ़ में बुटूराम केवट की हत्या करने के अपराध हेतु भा. दं. सं की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि के बंटवारे के कारण बुटूराम और पंच राम के बीच पारिवारिक विवाद था। दिनांक –14.04.1992 को जब बुटूराम अपने कोठार की ओर जा रहा था, सह–अभियुक्त श्रीमती बुंडू कुंवर (अपीलार्थी क्रमांक 1 की माँ) ने बुटूराम केवट को पकड़ लिया और अपीलार्थी–पंच

राम ने टंगिया से बुटूराम के सिर पर एक वार किया, जिससे बुटूराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। संतराम (अ.सा.–2), संकुंवर (अ.सा.–3) और बसन्ती (अ.सा.–4) ने इस घटना को देखा था।

3. फागूराम (अ.सा.–1) द्वारा आउटपोस्ट भूपदेपुर थाना खरसिया में दिनांक –14.04.1992 को समय प्रातः 10:00 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई। उप–निरीक्षक राम नरेश सिंह परिहार (अ.सा.–14) मौके पर पहुँचे और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्र.पी.–9) के द्वारा तैयार किया। बुटूराम का शव परीक्षण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खरसिया भेजा गया। डॉ. जी.एन. तिवारी (अ.सा.–11) ने दिनांक 14.04.1992 को शव परीक्षण किया और 3 इंच लंबा और ½ इंच चौड़ा कटा हुआ घाव इसके मध्य में बाईं ओर खोपड़ी के ऊपर, एक चीरा था। पार्श्विक लौकिक सन्धि में, यह चीरा, ललाट–पार्श्विक सन्धि से शुरू होकर पीछे की ओर पाश्विक अनुमस्तिष्क सन्धि तक, बाएँ कान के ऊपर 2 इंच तक गया था। हड्डी पार्श्विक–लौकिक सन्धि में कटी हुई थी, और घाव से मस्तिष्क का क्षत–विक्षत मांस दिखाई दे रहा था। आतंरिक परीक्षण करने पर पार्श्विक–लौकिक सन्धि के बाईं ओर खोपड़ी में फ्रैक्चर पाया गया। मस्तिष्क की झिल्ली कटी हुई थी, कटी हुई नसों से खून बह रहा था। मस्तिष्क पूरी तरह से क्षत–विक्षत था।" डॉ. जी.एन. तिवारी की राय में चोटें मृत्यु पूर्व की थीं और किसी भारी काटने वाले हथियार से कारित की गई थीं, जिससे हड्डी कट गई और खोपड़ी में घुस गयी। उनके अनुसार, मृत्यु का कारण सिर में लगी चोट थी जो काटने और मस्तिष्क के क्षत–विक्षत होने के कारण हुई थी। मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विवेचना पूरी होने के बाद, अपीलार्थी को धारा 302 भा.दं.सं. के तहत उसकी माँ श्रीमती बुंडू कुंवर के साथ अभियोजित किया गया। अपीलार्थी ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया, भूमि विवाद के कारण झूठा फंसाए जाने का अभिवचन किया और जेठाराम (ब.सा.–1) का साक्ष्य प्रस्तुत किया ।

5. अभियोजन पक्ष ने 14 साक्षियो की परीक्षण कराया है। विचारण न्यायालय ने चक्षुदर्शी साक्षी संतराम (अ. सा.–2),संकुंवर (अ.सा.–3) ,बसंती (आ.सा.–4) के कथनों के आधार पर अपीलार्थी पंच राम को दोषसिद्ध किया हालाँकि सह–अभियुक्त श्रीमती बुंडू कुंवर को दोषमुक्त कर दिया गया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि धारा 302 भा. दं. सं. के तहत अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई विधिक और विश्वसनीय सबूत नहीं है। उन्होंने तर्क दिया है कि संतराम (अ.सा.–2) ,संकुंवर(अ.सा.–3) ,और बसंती (अ.सा.–4) ,के कथन विश्वसनीय नहीं थी क्योंकि वे मृतक के रिश्तेदार हैं और इसलिए हितबद्ध साक्षी हैं। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि यह

एक ऐसा मामला है जिसमें कुल्हाड़ी से केवल एक ही वार किया गया था, और इसलिए, यदि अपीलार्थी द्वारा कोई भी अपराध किया गया है, तो वह भा. दं. सं. की धारा 304 भाग II से आगे नहीं जाएगा। दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया है।

7. हमने परस्पर विरोधी तर्कों को सुना है तथा सत्र विचारण क्रमांक 90/92 के अभिलेख का भी परीशीलन किया है। संतराम (अ.सा.–2) मृतक का भतीजा है। उसने कहा था कि दिनांक 14.04.1992 को समय प्रातः 7.00 से 8.00 बजे के बीच, जब वह अपने दाँत साफ कर रहा था, उसने अपने बाड़ा से देखा कि बुंड कुंवर ने बुटूराम को पकड़ रखा था और पंचराम ने बुटूराम पर कुल्हाड़ी से वार किया। घाव से खून बहने लगा और बुटूराम बेहोश होकर गिर गया और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। संतराम (अ.सा.–2) के बयान की संपुष्टि संकुंवर (अ.सा.–3), और बसन्ती बाई (अ.सा.–4),की बयान से होती है। संकुंवर (अ.सा.–3), मृतक की पत्नी है और उसने कहा है कि सुबह जब उसका पति बुटूराम कोठार जा रहा था, उसने देखा कि बुंडू कुंवर ने बुटूराम को पकड़ लिया था और पंचराम ने बुटूराम पर कुल्हाड़ी से वार किया जिससे बुटूराम जमीन पर गिर गया। उसने चिल्लाया जिस पर फागूराम (अ.सा.–1),और संतराम (अ.सा–2), आए, और उनके पति को घर ले गए। फागूराम (अ.सा–1) ने अपनी बयान के कंडिका 2 में यह भी कहा है कि वह घायल बुटूराम को अपने घर ले गए और उससे पूछा कि किसने उस पर हमला किया,जिस पर बुटूराम ने बताया कि पंच राम ने टंगिया से उसके सिर पर हमला किया था। बसन्ती बाई(अ . सा.–4) फागूराम (अ.सा.–1), की पत्नी है और उसने संतराम (अ.सा.–2) की बयान की पुष्टि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के प्रतिपरीक्षण में बसन्ती बाई (अ.सा.–4) या संतराम (अ.सा–2)और संकुंवर (अ.सा.–3)से कुछ भी नहीं निकाल पाए जिससे उनकी कथनों को खारिज किया जा सके। यह सुस्थापित है कि किसी साक्षी के कथन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वह आहत का रिश्तेदार है। एक रिश्तेदार या एक हितबद्ध साक्षी असली अपराधी को बचाने और एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए, विधि केवल यह मांग करती है कि ऐसे सक्षियो की कथनों पर उचित सावधानी और सतर्कता से विचार किया जाए। ऐसा करने पर, हम पाते हैं कि संतराम (अ.सा.–2), संकुंवर (अ.सा.–3)और बसन्ती बाई (अ.सा.–4) के कथन विश्वास को प्रेरित करते हैं ,संगत और विश्वसनीय है। हालाँकि, संतराम (अ.सा.–2) की प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष ने सुझाव दिया था कि एक सिद्धार ने पंच राम पर टंगिया से हमला किया था और जब पंच राम ने टंगिया को टाला तो वह बुटूराम से टकरा गई। हालाँकि,

इस बचाव को विद्वान विचारण न्यायमूर्ति ने स्वीकार नहीं किया है और हम यह भी पाते हैं कि इस सुझाव का कोई आधार बचाव पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है। डॉ. जी.एन. तिवारी (अ.सा.–11) की कथन स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बुटूराम को 3 इंच लंबा और 1/2 इंच चौड़ा घाव लगा था। खोपड़ी के बाएँ पार्श्व–लौकिक जोड़ पर एक गहरा घाव था, जिसके नीचे कपाल की हड्डी टूटी हुई थी और मस्तिष्क के आवरण भी कटे हुए थे। कटी हुई रक्त वाहिका से रक्तस्राव भी हुआ था। उनकी राय में, यह चोट किसी बहुत भारी काटने वाले हथियार से लगी थी। इतना ज़ोरदार वार किया गया था कि हड्डी कट गई और खोपड़ी में घुस गयी। इसलिए, हम विचारण न्यायाधीश के इस निष्कर्ष में कोई कमी नहीं पाते कि अपीलार्थी पंच राम ने बुटूराम के , सिर अर्थात मर्मान्तक भाग पर टंगिया से हमला करके उसकी हत्या की थी।

9. अब केवल यही सवाल विचारणीय है कि अपीलार्थी पंचराम ने क्या अपराध किया था। हालांकि अभियोजन के साक्ष्यों से पता चलता है कि अपीलार्थी पंच राम और मृतक के बीच ज़मीन को लेकर विवाद था, फिर भी अभिलेख पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे यह पता चले कि घटना से ठीक पहले उनके बीच झगड़ा हुआ था। घटना के समय, पंच राम ने बुटूराम के मर्मान्तक अंग पर इतने ज़ोर से टंगिया से वार किया कि कपाल की हड्डी टूट गई और मस्तिष्क के आवरण कट गए, जिससे कटी हुई रक्त वाहिका से रक्तस्राव हुआ। घटना के समय, मृतक बुटूराम अपने कोठार की ओर आ रहा था और निशस्त्र था। अभिलेख पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो अचानक हुए झगड़े या क्रोध के आवेश का संकेत दे। हमारे विचार में, यह घातक चोट अपीलार्थी द्वारा मस्तिष्क पर पूरी सोच–समझकर बहुत तेज काटने वाली वस्तु से की गई थी, जिसका आशय बुटूराम की हत्या करना था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, बूटुराम की मृत्यु का कारण बनने का अप्रेक्षणीय आशय अपीलार्थी को सुरक्षित रूप से आरोपित किया जा सकता है, जैसा कि विचारण न्यायाधीश द्वारा ठीक ही किया गया है। इसलिए, हम विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई दोष नहीं पाते हैं।

11. परिणामस्वरूप, इस अपील में कोई सार नहीं है, जो असफल हो जाती है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

सही/–
(फखरुद्दीन)
न्यायमूर्ति

सही/–
(दिलीप रावसाहेब देशमुख)
न्यायमूर्ति

------00------

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Shruti Navratna

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur